कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि पर साईकिल स्टैण्ड के ठेके को वित्तीय वर्ष 2024–2025 (दिनाँक 31.03.2025 तक की शेष अवधि हेतु) के लिये ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु **दिनाँक 12.12.2024 दिन बृहस्पतिवार, सायं 04:00 बजे** नियत है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in**, एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.hathras.nic.in** जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/hathras** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनाँक: 26.11.2024

26/11/24

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

6/11/2024

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

जनपद न्यायाधीश
हाथरस

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनॉक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए ही वैध है।
02. ठेके की बोली लगाने वालों को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 10,000/– (दस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
03. वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि पर साईकिल स्टैण्ड का आधार मूल्य रू० 93,222/– की धनराशि होगी। आधार मूल्य से ही बोली प्रारम्भ होगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का तत्काल जमा करना होगा।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प एवं अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा।

26/11/24

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।